भाग-II

आयोजना-भिन्न व्यय, 2016-2017

आयोजना-भिन्न में मुख्यतः स्थापना, पेंशन की अदायगियां, सब्सिडी, रक्षा, वित्त आयोग के अनुदानों और ब्याज अदायगियों से संबंधित व्यय शामिल होता है। पूर्व में, सचिवालय शीर्ष के अंतर्गत अंकित कुछ स्थापना संबंधी व्यय को आयोजना के अंतर्गत रखा जाता था। बजट 2016-17 में इस प्रकार के सभी व्यय आयोजना-भिन्न श्रेणी में अंतरित किए गए हैं। आयोजना-भिन्न व्यय के स्पष्ट श्रेणीवार ब्यौरे विवरण सं.4 में दिए गए हैं। 2016-2017 के बजट में शामिल की गई आयोजना-भिन्न व्यय की महत्वपूर्ण मदें निम्नलिखित पैराग्राफों में दी गई है। आयोजना-भिन्न पूंजी परिव्यय को विवरण सं.8 में एक साथ दर्शाया गया है जिसमें रक्षा सेवाएं तथा संघ राज्य क्षेत्र (विधानमण्डल रहित) शामिल नहीं हैं।

1. ब्याज सम्बन्धी अदायगियां और ऋण शोधन (₹4,92,669.95 करोड़)

₹4,91,669.95 करोड़ की राशि सरकारी ऋण, आंतरिक और विदेशी दोनों तथा सरकार की अन्य ब्याज संबंधी देयताओं के भुगतान के लिए मुहैया की गयी है। आंतरिक ऋण में मुख्यतः दिनांकित प्रतिभूति के जरिए बाजार ऋण, राजकोषीय हुंडियां और राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी की गयी विशेष प्रतिभूतियां शामिल हैं। अन्य सब्याज देयताओं में बीमा और पेंशन निधि, गैर-सरकारी भविष्य निधियों की जमाराशियां, प्रारक्षित निधियां, तेल विपणन कंपनियों, उर्वरक कम्पनियों, भारतीय खाद्य निगम और अन्य को जारी विशेष प्रतिभूतियां शामिल हैं। 2004-05 से प्रावधान में बाजार स्थिरीकरण योजना (एमएसएस) के अंतर्गत उधार पर ब्याज की अदायगी को एमएसएस पर समझौता ज्ञापन की शर्तों के अनुसार पृथक दर्शाया गया है। ऋण की कटौती से पूर्व-अदायगी प्रीमियम हेतु ₹1000 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है।

2. रक्षा (₹2,49,099 करोड़)

इसमें वसूलियों और राजस्व प्राप्तियों को घटाकर रक्षा सेवाओं पर होने वाला राजस्व और पूंजी व्यय शामिल है। इसके घटक ये हैं- थल सेना (₹1,13,732.72 करोड़), नौ सेना (₹17,424.79 करोड़), वायु सेना (₹23,655.83 करोड़), आयुध कारखाने ₹1,217.61 करोड़), अनुसंधान तथा विकास (₹6,728.05 करोड़) तथा रक्षा बलों के आधुनिकीकरण के लिए उपर्युक्त सभी सेवाओं का पूंजी परिव्यय (₹86,340 करोड़)।

3. मुख्य सब्सिडियाँ (₹2,50,432.93 करोड़)

3.1 उर्वरक सब्सिडी (₹70,000.00 करोड़):- इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

3.1.1 पोषक आधारित सब्सिडी नीति (₹19,000.00 करोड़)

3.1.1.1 देशी फासफोरस और पोटाशियम उर्वरक (₹12,000 करोड़):- यह प्रावधान किसानों को रियायती दरों पर नियंत्रण-मुक्त फोस्फेटिक और पोटाशियम उर्वरकों की बिक्री पर पोषक आधारित सब्सिडी (एनबीएस) स्कीम के तहत उर्वरकों के विनिर्माताओं/एजेंसियों को भुगतान के लिए है। इस रियायत से मृदा की बेहतर गुणवत्ता और उर्वरा शक्ति के लिए उर्वरक (एनपीके) के संतुलित प्रयोग का मार्ग प्रशस्त होगा।

3.1.1.2 आयतित फोस्फेटिक और पोटाशियम उर्वरक (₹6,999.99 करोड़):- यह प्रावधान किसानों को रियायती दरों पर नियंत्रण-मुक्त फोस्फेटिक और पोटाशियम उर्वरकों की बिक्री पर पोषक आधारित सब्सिडी (एनबीएस) स्कीम के तहत उर्वरकों के आयतकों/एजेसियों को भुगतान के लिए है। इस रियायत से मृदा की बेहतर गुणवत्ता और उर्वरा शक्ति के लिए उर्वरक (एनपीके) के संतुलित प्रयोग का मार्ग प्रशस्त होगा।

3.1.1.3 सिटी कम्पोस्ट (₹001 करोड़) :- सिटी कम्पोस्ट के विनिर्माताओं को ₹1500/- प्रति मीट्रिक टन की दर पर प्रस्तावित बाजार-विकास-सहायता के लिए सांकेतिक प्रावधान किया गया है।

3.1.2 यूरिया सब्सिडी : (₹51,000 करोड़)

3.1.2.1 देशी यूरिया : (₹40,000 करोड़): यह प्रावधान यूरिया के उत्पादन के लिए मालभाड़ा सब्सिडी सहित उर्वरक की नई मूल्य निर्धारण स्कीम (एनपीएस) के तहत सब्सिडी के संबंध में है। सब्सिडी स्कीम में किसानों को उचित मूल्यों पर उर्वरक उपलब्ध कराना और उर्वरकों के उत्पादकों को उनके निवेश पर उचित लाभ दिलाना अभिप्रेत है। वितरण मार्जिन को घटाते हुए तय किए गए रियायती मूल्य और सांविधिक रूप से विनियंत्रित उपभोक्ता मूल्य के बीच के अंतर को सब्सिडी के रूप में माना जाता है। सब्सिडी की मात्रा रियायती मूल्य, उपभोक्ता मूल्य और उत्पादन के स्तर पर निर्भर करती है।

3.1.2.2 आयतित यूरिया (₹ 11,000 करोड़):- चूंकि देशी उत्पादन उर्वरकों की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है, अतः कमी को पूरा करने के लिए आयात किया जाता है। इसमें संलिप्त लागत प्रमुखतः आयतित उर्वरकों के मूल्य उर्वरकों के वहन और वितरण की लागत को मिलाकर है। आयतित उर्वरकों का किसानों द्वारा दिया जाने वाला मूल्य उर्वरक नियंत्रण आदेश के तहत विनियंत्रित किया जाता है और इस प्रकार उपभोक्ता मूल्यों के सांविधिक रूप से विनियमित किया जाता है। यह बिक्री मूल्य वही है जो देशी उत्पादन के लिए बिक्री मूल्य है। किसानों को उर्वरकों की बिक्री के माध्यम से वसूली गई राशि और सरकार की आयात लागतों के बीच का अंतर उर्वरक आयातों पर सब्सिडी दर्शाता है।

3.2 पेट्रोलियम सब्सिडी (₹26,947करोड़): सरकार डीजल, पीडीएस केरोसिन और घरेलू एलपीजी के खुदरा बिक्री मूल्य को अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल के उच्च मूल्य के पूर्ण प्रभाव से उपभोक्ताओं को अलग करने के लिए घटाती-बढ़ाती है। इसमें एलपीजी सब्सिडी के लिए ₹ 19,802.79 करोड़ तथा केरोसिन सब्सिडी के लिए ₹ 7,144.21 करोड़ शामिल हैं।

3.3 ब्याज सब्सिडियाँ (₹15,523.29 करोड़):- ब्याज सब्सिडी में नाबार्ड, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कोऑपरेटिव बैंकों तथा पीएसबी द्वारा किसानों को अथवा अवधि में दिए गए ऋणों पर ब्याज सहायता के रूप में ₹15,000 करोड़ का प्रावधान शामिल है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन प्लान के लिए एलआईसी की ₹171.90 करोड़ का प्रावधान, हैं। केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रीय उपक्रमों में वीआरएस लागू करने के लिए सीपीएसयू द्वारा बैंकों से लिए गए ऋण पर ब्याज सहायता देने के लिए (₹44.05 करोड़) है। आंध्र प्रदेश और तेलगांना राज्य में औद्योगिक इकाइयों को ब्याज सहायता के लिए 100 करोड़ की राशि शामिल है। चीनी कारखानों को रियायती ऋण देने की स्कीम 2015 पर ब्याज माफी के लिए ₹202.50 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है। ब्याज सब्सिडियों का ब्यौरा विवरण संख्या 5 में दिया गया है।

3.4 अन्य सब्सिडियां (₹3,128.03 करोड़):- अन्य सब्सिडियों के ब्यौरे विवरण संख्या 6 में दिए गए हैं। जिन प्रमुख मदों के लिए व्यवस्था की गई है, वे नीचे दी गई हैं:-

(क) चीनी उपक्रमों को सहायता देने के लिए स्कीम-2014 (₹800 करोड़): यह प्रावधान चीनी उपक्रमों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए है।

(ख) हज सब्सिडी (₹450 करोड़): यह हज कार्यों के संबंध में है और इसका उद्देश्य हज तीर्थ यात्रियों द्वारा भुगतान किये जाने वाले विमान किराया के लिये सब्सिडी देना है।

(ग) कृषि उत्पादों के लिए बाजार हस्तक्षेप/मूल्य समर्थन स्कीम के लिए सहायता (₹ 80 करोड़): मूल्य समर्थन अथवा बाजार हस्तक्षेप की अभिकल्पना कृषकों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना है।

(घ) पूर्वोत्तर क्षेत्र में हेलीकाप्टर सेवाओं हेतु सब्सिडी (₹ 86 करोड़): यह प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र में हेलिकाप्टर सेवाएं देने के लिए है।

(ङ) शिपयार्ड को सब्सिडी: (₹ 50करोड़) यह प्रावधान गैर पीएसयू और निजी क्षेत्रीय शिपयार्डो को सब्सिडी देने के बारें में है।

(च) दालों के आयात पर सब्सिडी (₹ 115 करोड़): यह प्रावधान दालों के आयात पर सब्सिडी देने के लिए है।

(छ) खाद्य तेलों के आयात पर सब्सिडी की विगत देयताओं के निष्पादन हेतु ₹567.01 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है।

4. राज्यों को राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया निधि से सहायता (₹ 6,450 करोड़)

तेरहवें वित्त आयोग ने ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार गठित, विद्यमान राष्ट्रीय आपदा आकास्मिकता निधि (एनसीसीएफ) का आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के अधीन यथाउपबन्धित राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया निधि (एनडीआरएफ) में विलय करने की सिफारिश की है। राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क (एनसीसीडी) से संग्रहित राशि को एनडीआरएफ में अंतरित किया जाता है और राज्यों को सहायता एनडीआरएफ से पूरी की जाती है। अनुमान है कि ₹ 6,450 करोड़ का एनसीसीडी का संग्रह किया जाएगा और एनडीआरएफ को अंतरित किया जाएगा।

7. डाक सम्बन्धी घाटा (₹ 8,415.53 करोड़)

डाक संबंधी घाटा डाक विभाग के कार्यकारी खर्चों की कमी को दर्शाता है। जबकि इस विभाग का कार्यकारी खर्च ₹ 22,242.58 करोड़ है, डाक संबंधी प्राप्तियां ₹ 13,827.05 करोड़ होने का अनुमान है जिससे ₹ 8,415.53 करोड़ का घाटा होगा।

8. सामरिक महत्व की लाइनों के संचालन में रेलवे को होने वाली हानियों की प्रतिपूर्ति (₹ 820 करोड़)

वर्ष 2015-16 में रेलवे को सामरिक महत्व की लाइनों के संचालन पर होने वाली हानियों की एवज में ₹ 820 करोड़ की राशि की प्रतिपूर्ति हैतु, उपलब्ध कराई गई है।

9. रेलवे को लाभांश राहत और अन्य रियायतों के लिए सब्सिडी (₹ 4,300.80 करोड़):

रेलवे अभिसमय समिति की सिफारिशों के अनुसार रेलवे की अनेक मदों पर सामान्य राजस्व को लाभांश के भुगतान में रियायत दी जाती है। इसकी व्याख्या प्राप्ति बजट में की गयी है। लाभांश रियायतें, महत्वपूर्ण लाइनों के कार्यकरण में हानि से संबंधित रियायतों को छोड़कर, रेलवे को आम राजस्व से सब्सिडी के रूप में दी जाती है।

10. सामान्य सेवाएं

10.01 राज्य के अंग (₹ 5,706.43करोड़):- इसमें मुख्यतः संसद (₹ 1,001.50 करोड़), राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति (₹58.70 करोड़), मंत्रिपरिषद (₹ 417.83 करोड़), न्याय प्रशासन (₹ 575.17 करोड़) और भारतीय लेखा-परीक्षा और लेखा विभाग (₹ 3,653.23 करोड़) के लिए व्यवस्था की गई है।

10.02 कर संग्रहण (₹ 12,017.24 करोड़):- यह व्यवस्था कर संग्रहण एजेंसियों के व्यय के लिए है और यह मुख्यतः आयकर विभाग (₹ 5,131.16 करोड़), सीमाशुल्क (₹ 3,176.73 करोड़) और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (₹ 3,579.68 करोड़) के सम्बन्ध में है। सीमा शुल्क व्यय में तटरक्षकों के लिए व्यय (₹ 1,624.41 करोड़) शामिल है।

10.03 निर्वाचन (₹ 3,730.81 करोड़): यह प्रावधान लोकसभा चुनाव सम्बन्धी व्यय (₹ 1761.43 करोड़) और मतदाताओं को पहचान पत्र जारी करना (₹ 40 करोड़) अन्य चुनाव (₹1847.86 करोड़) के लिए है।

10.04 सचिवालय-सामान्य सेवाएं (₹ 3,660.10 करोड़):- ये प्रमुख व्यवस्थाएं रक्षा मंत्रालय, महानियंत्रक, रक्षा लेखा संगठन और रक्षा सम्पदा संगठन सहित (₹ 2,109.70 करोड़), विदेश कार्य (₹ 402.32 करोड़) और गृह (₹ 307.14 करोड़), राजस्व (₹ 182.06 करोड़) और आर्थिक कार्य (₹ 182.42 करोड़) के लिए की गई हैं।

10.05 पुलिस (₹ 59,796.09 करोड़):- इसमें केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के लिए ₹ 15,841.15 करोड़, सीमा सुरक्षा बल के लिए ₹ 4,240.50 करोड़, असम राइफल्स के लिए ₹ 6,042.50 करोड़, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के लिए ₹ 6,042.50 करोड़ और भारत तिब्बत सीमा पुलिस के लिए ₹4,141.24 करोड़ और दिल्ली पुलिस के लिए ₹ 5,485.63 करोड़, सशस्त्र सीमा बल के लिए ₹ 3,775.17 करोड़ तथा पुलिस बल के आधुनिकीकरण हेतु ₹ 70 करोड़, राष्ट्रीय सुरक्षा गारद के लिए ₹ 624.22 करोड़, आसूचना ब्यूरो के लिए ₹ 1,390.45 करोड़, जम्मू तथा कश्मीर की लाइट इन्फ्रेंन्टी हेतु ₹ 1,210.61 करोड़ और केन्द्रीय जांच ब्यूरो के लिए ₹ 650.65 करोड़ की व्यवस्था शामिल है।

10.06 विदेश कार्य (₹ 5,835.01करोड़):- यह व्यय मुख्यतः विदेशों में स्थित दूतावासों और मिशनों तथा विशेष राजनयिक व्यय के लिए है।

10.07 पेंशन (₹ 1,23,368.07 करोड़):- इसमें रक्षा सेवाओं (₹ 82,332.66 करोड़) और अन्य सिविल विभागों (₹ 41,035.41 करोड़) के सेवानिवृत्त कार्मिकों की पेंशन और अन्य सेवा-निवृत्ति लाभ शामिल है। इसमें भारत संचार निगम लि. में लिए गए कर्मचारियों को शामिल कर दूरसंचार विभाग के कर्मचारियों के पेंशनरी लाभ (₹ 8,932 करोड़) और सीजीएचएस पेंशनरों के चिकित्सा उपचार हेतु ₹ 1,085 करोड़ भी शामिल हैं। रेलवे तथा डाक विभागों के पेंशन प्रभारों को इन विभागों के कार्यचालन व्यय का भाग माना जाता है।

10.09 अन्य (₹ 4,050.37 करोड़):- इसमें लोक निर्माण कार्य के लिए ₹ 1747.60 करोड़, कैंटीन स्टोर विभाग के कार्यशील व्यय हेतु ₹ (-)125 करोड़, गारंटी मोचन निधि में अंतरण हेतु ₹ 300 करोड़ तथा अन्य के लिए ₹ 384.17 करोड़ की व्यवस्थाएं शामिल हैं।

इस सेक्टर में शामिल वाणिज्यिक विभागों यथा-कैंटीन स्टोर विभाग का राजस्व व्यय ₹ 15,000 करोड़ होने का अनुमान है। तथापि, इसे ₹ 15,125 करोड़ की प्राप्तियों से प्रतिसंतुलित किया जाएगा।

11. सामाजिक सेवाएं

11.01 शिक्षा (₹ 14,551.04 करोड़):- इसमें केन्द्रीय विद्यालयों के लिए ₹ 2,695.47 करोड़, नवोदय विद्यालय समिति के लिए ₹ 571 करोड़, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के लिए ₹ 2,441.94 करोड़, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के लिए ₹ 2,008.71 करोड़, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के लिए ₹ 1065.05 करोड़ के लिए की गयी व्यवस्था शामिल है। इसमें भारतीय प्रबंध संस्थानों के लिए (₹ 5 करोड़) और भारतीय विज्ञान संस्थान और शिक्षा तथा अनुसंधान हेतु भारतीय विज्ञान संस्थान के लिए सहायता (₹ 302.52 करोड़), और अन्य संस्थानों को सहायता (₹ 191.42 करोड़) शामिल है।

11.04 चिकित्सा, जन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण (₹ 5,188.63 करोड़):- इसमें केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना के लिए ₹ 920 करोड़, मुख्य केंद्रीय और चिकित्सा संस्थानों के लिए 2077.55 करोड़, चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान हेतु 384 करोड़ शामिल है। इसमें आयुर्वेद, योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा, सिद्धा एवं होम्योपैथी के लिए ₹ 257.70 करोड़ का प्रावधान भी शामिल है।

11.06 सूचना और प्रसारण (₹ 3,203.99 करोड़):- इस व्यवस्था में प्रसार भारती (₹ 2,716.86 करोड़) को उसके राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए संसाधनों में अंतर की पूर्ति के लिए अनुदान, विभिन्न सूचना और प्रचार अभिकरणों जैसे फिल्म डिवीजन, विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय, प्रेस सूचना सेवा, संगीत और नाटक प्रभाग, प्रकाशन प्रभाग आदि के लिए ₹ 487.13 करोड़ शामिल है।

11.07 श्रमिक कल्याण (₹4,722.42 करोड़):- इसमें सामाजिक सुरक्षा के लिए कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 को अंशदान के लिए ₹ 4,025 करोड़ की व्यवस्था शामिल है। अन्य योजनाएं, जिनके लिए व्यवस्था की गई है, वे हैं:- औद्योगिक सम्बन्ध, काम की स्थितियां और सुरक्षा, श्रम कल्याण, श्रम शिक्षा और कारीगरों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण।

11.08 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण (₹1,329.60 करोड़):- इसमें स्वतन्त्रता सेनानियों को दी जाने वाली पेंशन और अन्य लाभों के लिए ₹ 760.16 करोड़, बाल और महिला कल्याण के लिए ₹ 61.03 करोड़, विकलांगों के कल्याण आदि के लिए ₹ 67 करोड़ की व्यवस्था शामिल है।

11.09 सचिवालयी सामाजिक सेवाएं (₹570.12 करोड़):- इसमें ₹ 107.62 करोड़ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सचिवालय के लिए, ₹ 95.99 करोड़ उच्च शिक्षा, श्रम एवं रोजगार ₹ 47.89 करोड़ और सूचना एवं प्रसारण के लिए ₹ 70.32 करोड़ शामिल हैं।

11.10 अन्य (₹2,568.55 करोड़):- इसमें कला और संस्कृति (₹723.73 करोड़), आवास और शहरी विकास (₹959.53 करोड़), खेल और युवा सेवायें (₹166 करोड़) की व्यवस्था शामिल हैं।

12. आर्थिक सेवाएं

12.01 कृषि और सम्बद्ध क्रिया-कलाप (₹4,015.54 करोड़):- इसमें कृषि कार्य, बागान, भूमि और जल संरक्षण, पशु पालन, डेरी विकास, मत्स्य पालन, वानिकी और वन्य-जीव, खाद्य, भंडारण, भांडागारण आदि से सम्बन्धित विभिन्न योजनाओं के लिए व्यवस्था है। मुख्य व्यवस्था कृषि अनुसंधान और शिक्षा (₹ 2,906.64 करोड़) और दीर्घकलिक सहकारी ऋण संरचना के पुनरुज्जीवन के लिए है।

12.02 विदेश व्यापार और निर्यात संवर्धन (₹1,711.76 करोड़):- यह प्रावधान मुख्यतया सम-निर्यात लाभों के लिए निर्यात संवर्धन और विपणन विकास (₹ 1,200 करोड़) हेतु सहायता के संबंध में है।

12.04 उद्योग और खनिज (₹2,758.68 करोड़):- मुख्य व्यवस्थाएं ग्राम और लघु उद्योग, भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण, न्यूकलीय ईंधन परियोजनाओं सहित परमाणु ऊर्जा विभाग की औद्योगिक परियोजनाओं, वस्त्रोद्योग और जूट से संबंधित संगठनों और स्कीमों के लिए है। परमाणु ऊर्जा विभाग की परियोजनाओं संबंधी प्रावधान में ईंधन निर्माण सुविधाओं के लिए ₹ 487.93 करोड़ की राशि को निवल प्राप्तियों के रूप में लिया गया है जिसे विभाग द्वारा चलाया जा रहा वाणिज्यिक उपक्रम माना जाता है। इसमें भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के लिए (₹ 487.20 करोड़) शामिल है।

12.05 परिवहन (₹4,133.35 करोड़):- ये व्यवस्थाएं मुख्यतया सड़कों तथा पुलों के रख-रखाव (₹ 3,525.64 करोड़), जिनमें राष्ट्रीय राजमार्ग (₹ 2,837.57 करोड़) शामिल है; सीमा सड़क संगठन (₹ 644 करोड़), और बड़े और छोटे पत्तनों (₹ 213.93 करोड़) से संबंधित है। दीप-स्तम्भ और दीप पोत विभाग को वाणिज्यिक उपक्रम माना जाता है, और ₹ 250 करोड़ की निवल प्राप्तियां होने का अनुमान है।

12.06 विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण (₹7,513.50 करोड़):- इसके अन्तर्गत की गई व्यवस्था में परमाणु ऊर्जा अनुसंधान के लिए ₹ 3,717.05 करोड़, अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए ₹ 1,480.99 करोड़, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की स्कीमों के लिए ₹ 390.53 करोड़, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के लिए ₹ 1,750.20 करोड़, पारिस्थितिकी और पर्यावरण के लिए ₹ 83.42 करोड़ और समुद्रीय वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए ₹ 50.72 करोड़ शामिल हैं।

12.09 जनगणना आँकडों का सर्वेक्षण (₹808.81 करोड़):- यह प्रावधान मुख्यतया राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के लिए है।

13. राज्य सरकारों को आयोजना-भिन्न अनुदान (₹ 1,115,645.60 करोड़) राज्य सरकारों को अनुदान के अनुमान चौदहवें वित्त आयोग द्वारा प्रस्तुत सिफारिशों पर आधारित हैं। इसमें अंतरण उत्तर राजस्व घाटा अनुदान नगर निगम निकायों (ग्रामीण और शहरी) अनुदान और राज्य आपदा अनुक्रिया को (एसडीआरएफ) में केन्द्र को अंशदान के रूप में अनुदान भी शामिल है इसके अलावा, सीएसटी के फेजिंग के कारण होने वाले घाटे के लिए राज्यों को प्रतिपूर्ति करने के लिए इसमें अतिरिक्त प्रावधान भी निहित है।

14. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को आयोजना-भिन्न अनुदान (₹ 2,710.01 करोड़)

इसके अन्तर्गत व्यवस्था मुख्यतः पुडुचेरी के लिए आयोजना-भिन्न राजस्व के अन्तर (₹ 546 करोड़), केन्द्रीय करों एवं शुल्कों में हिस्से के बदले राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली को अनुदान (₹ 325 करोड़) को पूरा करने के लिए की गई है। ब्यौरे विवरण संख्या 10 में दिए गए हैं।

15. विदेशी सरकारों को अनुदान (₹ 4,529.79 करोड़)

इसमें मुख्यतः भूटान के लिए ₹ 1,200 करोड़, नेपाल के लिए ₹ 300 करोड़, अफ्रीकी देशों के लिए ₹ 290 करोड़, बंगलादेश के लिए ₹ 230 करोड़, श्रीलंका के लिए ₹ 230 करोड़, म्यांमार के लिए ₹ 200 करोड़, अफगानिस्तान के लिए ₹ 500 करोड़, मालदीव के लिए ₹ 40 करोड़ और अन्य विकासशील देशों आदि और अन्य कार्यक्रम के लिए ₹ 1,619.79 करोड़ की व्यवस्था की गई है। ब्यौरे विवरण संख्या 11 में दिए गए हैं।

16. आयोजना-भिन्न पूंजी परिव्यय (रक्षा को छोडकर) (₹ 13,448.19 करोड़):- इसमें मुख्य व्यवस्था परमाणु ऊर्जा विभाग का पूंजी परिव्यय (₹ 1037.94 करोड़), तटरक्षक संगठन के लिए पोतों, नावों, विमानों आदि के अधिग्रहण (₹ 1,500 करोड़), सीमा सड़क विकास बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गो के निर्माण के लिए (₹ 1,922 करोड़), सीबीडीटी के लिए बना-बनाया आवास खरीदना (₹ 200 करोड़), केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग द्वारा कार्यालय भवन का निर्माण (₹ 379.20 करोड़) और विदेश स्थित भारतीय मिशनों के लिए आवासीय और गैर-आवासीय भवनों के अधिग्रहण/निर्माण (₹ 300 करोड़), अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में निवेश (₹ 4081.62 करोड़), पुलिस पर पूंजी परिव्यय (₹ 3,122.95 करोड़)। ब्यौरे विवरण संख्या 8 में दिए गए हैं।

18. संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को आयोजना-भिन्न ऋण (₹ 72 करोड़)

इसमें पुडुचेरी को अपने संसाधनों में आयोजना-भिन्न अन्तर को पूरा करने के लिए व्यवस्था की गई है। ब्यौरे विवरण संख्या 10 में दिए गए हैं।

19. सरकारी उद्यमों को आयोजना-भिन्न अनुदान और ऋण (₹ 3,158.29 करोड़)

इसमें सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के संसाधनों में कमियों को पूरा करने के लिए ₹ 898.08 करोड़ की व्यवस्था की गई है। ₹ 3,153.82 करोड़ सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को अनुदान के रुप में दिया गया है। ब्यौरे विवरण संख्या 9 में दिए गए हैं।

22. बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों का आयोजना-भिन्न व्यय (₹ 5,672.62 करोड़)

इनमें यह व्यवस्था की गई है:- अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के लिए ₹1,795.02 करोड़, दादरा और नगर हवेली के लिए ₹ 155.84 करोड़, लक्षद्वीप के लिए ₹ 699.54 करोड़, चंडीगढ़ के लिए ₹ 2,834.54 करोड़ और दमन एवं दीव के लिए ₹ 187.72 करोड़। ब्यौरे विवरण संख्या 3 में दिए गए हैं।